न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर
रसद प्रार्थना पत्र संख्या 34/2022

राजस्थान सरकार जरिये नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

श्री भंवर सिह पंवार पुत्र श्री छोटू सिंह,

होटल के.जी. प्लाजा के पास, झूलेलाल

मंदिर के पास, वैशाली नगर अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री अब्दुल सादीक, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 23.05.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 04.08.2022 को जिला रसद अधिकारी अजमेर श्री विनय कुमार शर्मा के नेत्त्व में प्रवर्तन स्टॉफ का सयुक्त जांच दल मय प्रवर्तन अधिकारी, नीरज जैन वैशाली नगर स्थित श्री भंवर सिंह पंवार पुत्र श्री छोटू सिंह पंवार के निवास पर पहुॅचा । श्री भंवरसिंह के बाबत शिकायत प्राप्त हुई कि उसके द्वारा वाहनो में अवैध गैस रिफिलिंग का कार्य किया जाता है । मौके पर श्री भंवरसिंह मौजूद मिला। जॉच दल के मौके पर पहुंचते ही श्री भंवरसिंह के आवास पर एक गैस रिफिलिंग मशीन तथा 6 घरेलू लाल गैस सिलेण्डर बरामद हुए । जांच दल द्वारा मकान की तलाशी करने पर एक शौचालय में एक विघुत मोटर युक्त गैस रिफिलिंग मशीन बरामद हुई। मशीन के हाथ लगाने पर वह रिफिलिंग गर्म पाई गयी जिससे यह सिद्व होता है कि हाल ही में इस मशीन से गेस भरी गई है। श्री भंवरसिंह के निवास की तलाशी लेने पर 08 अन्य लाल वाले घरेलू गैस सिलेण्डर (क्षमता 14.2 किग्रा) 8 बीपीसीएल के ववसायिक सिलेण्डर (क्षमता 5 किग्रा) तथा 2 आईओसीएल के व्यावसायिक सिलेण्डर (क्षमता 19 किग्रा) और बरामद हुए । इतने सारे घरेलू गैस सिलेण्डर की मौजूदगी के बारे में श्री भंवरसिंह कोई उत्तर नही दे सका, इससे स्पष्ट है कि श्री भंवरसिंह इन घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध गैस रिफिलिंग में ही दुरूपयोग करता है। उल्लेखनीय है कि श्री भंवरसिंह पूर्व में भी अवैध गैस रिफिलिंग प्रकरा पकडा जा चुका है। ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी श्री विनय कुमार शर्मा द्वारा 8 घरेलू, 2 व्यावसायिक (क्षमता 19 किग्रा), 4

जिला कलक्टर
अजमेर

छोटे गैस सिलेण्डर (क्षमता 5 किग्रा) तथा 02 इलेक्ट्रिक मोटर युक्त रिफिलिंग मशीन को राजहित में कब्जेराज लेकर जब्त किया गया । मौके पर मैससर्स एस.के.एम होम अपलाईसेज (एच.पी.सी.एल) वैशाली नगर, अजमेर नामक गैस एजेन्सी के मैनेजर श्री रामनरेश खटाना को बुलाकर 14 एल.पी.जी गैस सिलेण्डर, 02 गैस रिफिलिंग की अवैध मशीन अग्रिम आदेश तक यथावत एवं सुरक्षित रखने हेतु सुपुर्दगी में दिए गये । इसका सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गय । श्री भंवरसिह का यह कृत्यु एल.पी.जी आदेश 2001 की धारा 3(1)(2) एवं 3 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 14 गैय यिलेध्ढा, 02 अवैध गैस रिफिलिंग मशीन को राजसात करने के आदेश फरमावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी नोटिस तामिल बावजूद गैर हाजिर । पैरोकार सरकार को सुनवाई चाहने पर सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 04.08.2022 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर वाहनो में अवैध गैस रिफिलिंग का कार्य किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी आदेश 2001 की धारा 3(1)(2) एवं 3 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः कब्जेराज लिये गये 14 गैस सिलेण्डरों एवं 2 अवैध गैस रिफिलिंग मशीन को राजसात फरमाया जावें।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का वाहनो में अवैध गैस रिफिलिंग का कार्य तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 4.08.2022 के अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये 14 गैस सिलेण्डरों एवं 2 अवैध गैस रिफिलिंग मशीन को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी अजमेर उक्त सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 23.05.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर
अजमेर